भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 102
सोमवार, 9 फरवरी, 2026 (20 माघ 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

होसुर में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव

***102. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के होसुर में एक ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच की है, जो राज्य के तेजी से बढ़ते औद्योगिक और रोजगार गलियारे को सेवाएं प्रदान करेगा;

(ख) राज्य सरकार से बार-बार अभ्यावेदन प्राप्त होने के बावजूद सैद्धांतिक अनुमोदन, हवाई क्षेत्र संबंधी मंजूरी और अन्य वैधानिक अनुमति प्रदान करने में विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विलंब से क्षेत्रीय विकास, निवेश, रोजगार और मौजूदा विमानपत्तनों पर भीड़ कम करने पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया है; और

(घ) तमिलनाडु राज्य के व्यापक जनहित में समय-बद्ध केंद्र-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने और होसुर विमानपत्तन परियोजना को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"होसुर में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव" के संबंध में श्री एस. कल्याणसुन्दरम द्वारा पूछे गए दिनांक 09.02.2026 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उनके लिए एक उपयुक्त स्थल की पहचान करना और पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन कराना तथा 'साइट क्लीयरेंस' के लिए भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिसके पश्चात 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

जीएफए नीति के अनुसार, तमिलनाडु सरकार के उद्यम नामतः तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (टीआईडीसीओ) ने होसुर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास के लिए साइट क्लीयरेंस हेतु नवंबर, 2025 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को टिप्पणियों/अवलोकनों हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को परिपत्रित किया गया था।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निष्पादित की जाने वाली राष्ट्रीय महत्व की रक्षा परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए और रक्षा बलों की परिचालन तैयारी को सक्षम बनाने के लिए, इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की गई है।

*****